संख्या: आडिट- 8 /दस-91-605(45)/90

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 25.5. 1991

विषय: मे0 काशीनाथ कैलाशनाथ फाइनेंस कं0, हरदोई।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1390/फर्म दिनांक 28-12-90 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय विभाग के मतानुसार कंपनी पर केंद्र सरकार और कम्पनी ला बोर्ड का नियंत्रण रहता है। कंपनी के समस्त कार्यकलाप केंद्र सरकार तथा कंपनी ला बोर्ड के नियंत्रण में रहेंगे। अत: कंपनी शब्द से केंद्र सरकार के अनुमोदन का आभास होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा -58(3) के अनुसार किसी फर्म के नाम में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन अथवा संरक्षण का आभास होता है। ऐसी दशा में विचाराधीन प्रकरण में आपके द्वारा कंपनी शब्द के प्रयोग पर उठाई गई आपत्ति विधिक रूप से उचित है। कृपया अन्य मामलों में भी इसी भांति कार्यवाही करें। समस्त मामले शासन को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी उक्त स्थिति से आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

भवदीय,

(गणेश दत्त दीक्षित)
संयुक्त सचिव।